

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/834/2018/10-11/2689 भोपाल, दिनांक 07-09-18
प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- इन्दौर एवं खरगौन जिले में महू-सनावद गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु इन्दौर वन मण्डल की 188.97 हेक्टेयर एवं बड़वाह वन मण्डल की 19.922 हेक्टेयर कुल 208.89 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेल्वे, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPA020/2018-BHO/399 दिनांक 22.08.2018

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1- बिन्दु क्रमांक-1 के पालन में प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रेषित है।
- 2- बिन्दु क्रमांक-2 एवं 3 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर इन्दौर का प्रमाण पत्र एवं विस्थापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर औपचारिक स्वीकृति के पूर्व आपको प्रेषित किया जावेगा।
- 3- बिन्दु क्रमांक-4 के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र पूर्व में ही वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, उसकी हार्डकॉपी की छायाप्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


4/9/18

(सुनील अग्रवाल)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/834/2018/10-11/2689 भोपाल, दिनांक 07-09-18

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- इन्दौर एवं खरगौन जिले में महू-सनावद गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु इन्दौर वन मण्डल की 188.97 हेक्टेयर एवं बड़वाह वन मण्डल की 19.922 हेक्टेयर कुल 208.89 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेल्वे, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPA020/2018-BHO/399 दिनांक 22.08.2018

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1- बिन्दु क्रमांक-1 के पालन में प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रेषित है।
- 2- बिन्दु क्रमांक-2 एवं 3 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर इन्दौर का प्रमाण पत्र एवं विस्थापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर औपचारिक स्वीकृति के पूर्व आपको प्रेषित किया जावेगा।
- 3- बिन्दु क्रमांक-4 के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र पूर्व में ही वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, उसकी हार्डकॉपी की छायाप्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(सुनील अग्रवाल)